132

(6)

न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर कैंप उज्जैन के समक्ष

निगरानी – 6453/2018/ आगर मालवा/ भू.रा.

प्रकरण क्रमांक /2018

1. रामलाल पिता बालूजी जाति नाई आयु–40 वर्ष धंधा– कृषि निवासी–ग्राम बेरिया तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.।

2. गीताबाई पिता बालूजी जाति नाई आयु–30 वर्ष धंधा– कृषि निवासी–ग्राम बेरिया तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.।

प्रार्थी ... श्री राजेश्वर शर्मा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 16/10/18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

602
16-10-18

....

पुनरीक्षण/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. लक्ष्मीबाई विधवा रामगोपाल जाति नाई आयु–45 वर्ष धंधा– कृषि निवासी–ग्राम नांदना तहसील सुसनेर जिला आगर म.प्र.।

2. संगीताबाई पिता रामगोपाल पत्नी राकेश जाति नाई आयु–25 वर्ष धंधा– कृषि निवासी–ग्राम रायपुर तहसील पीडावा जिला झालावाड़ राजस्थान।

...... प्रत्यर्थीगण

:: **पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा –50 म.प्र. भू.रा. सं. 1959** ::

अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रं. 45/अपील/2017–18 मे पारित अंतिम आदेश दिनांक 31/05/2018 से विक्षुब्ध होकर पुनरीक्षण याचिका

माननीय महोदय,

पुनरीक्षण/निगरानीकर्ता की ओर से यह द्वितीय अपील, अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर सविनय सादर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(182) (190)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी-6443/2018/आगर-मालवा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019 उज्जैन	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-05-18 के विरूद्ध दिनांक 16-10-18 को 1 माह 16 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की है । आवेदक द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विलंब क्षमा के संबंध में विचार किया जा सके । अत: ऐसी दशा में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	